**न्यायालयः—राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़**

पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 60/2015

1. लखीराम (फौत)

1/1 सत्यवान पुत्र स्व. लखीराम जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

2. राधाकिशन पुत्र मंगतुराम जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3. इन्द्राज पुत्र कुन्दनराम जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4. महावीर पुत्र उदमीराम जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

5. सीताराम पुत्र उदमीराम जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थीगण/अपीलांट

**—: बनाम :—**

1. मदनलाल (फौत)

1/1 भगवानाराम पुत्र मदनलाल जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

1/2 कृष्णा पुत्री मदनलाल जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

1/3 सावित्री पुत्री मदनलाल जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

2. लिछमण पुत्र नत्थुराम जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3. जयसिंह (फौत)

3/1 धर्मपाल पुत्र जयसिंह जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3/2 श्रवण पुत्र जयसिंह जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3/3 जयप्रकाश पुत्र जयसिंह जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3/4 लज्जोदेवी पुत्री जयसिंह जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4. बनवारी (फौत)

4/1 मांगेराम पुत्र बनवारी जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/2 कमला पुत्री बनवारी जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/3 धोलादेवी पुत्री बनवारी जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/4 लीलावती पुत्री बनवारी जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/5 पार्वती पुत्री बनवारी जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/6 कलावती पुत्री बनवारी जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

5. रामलाल पुत्र नत्थुराम (फौत)

5/1 शांति पत्नि रामलाल जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा हाल मोहबब्तपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

5/2 जगदीश पुत्र रामलाल जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा हाल मोहबब्तपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

5/3 रामेश्वर पुत्र रामलाल जाति छिम्पी निवासी अजीतपुरा हाल मोहबब्तपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

5/4 गीता पुत्री रामलाल पत्नि सुशील जाति छिम्पी निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

6. तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण/रेस्पो0

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा आदेश 22 नियम 3, 4, 9 सीपीसी

उपस्थित :–

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अप्रार्थीगण
श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6

निर्णय दिनांक –01.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी भादरा के निर्णय दिनांक 19.02.2007 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीए पेश की, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2012 को अपीलांटस की अनुपस्थिति मे अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दी। जिसे रेस्टोर करवाने बाबत उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी उक्त अपील मे अधिवक्ता को नियुक्त किया था तथा अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को हिदायत दी गई थी कि उक्त अपील मे जब आपकी जरूरत होगी तो आपको फोन के जरिये सूचना दी जावेगी। इसलिए प्रार्थीगण उक्त अपील मे हर तारीख पेशी पर उपस्थित नही होते थे तथा प्रार्थीगण की ओर से पैरवी अधिवक्ता द्वारा ही की जाती थी। दौराने अपील अधिवक्ता प्रार्थीगण की मृत्यु हो गई जिस कारण प्रार्थीगण के अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके और दिनांक 08.05.2012 को अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज कर दी गई जिसे पुनः बाजवा नम्बर पर रेस्टोर करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण ने दिनांक 24.05.2015 को न्यायालय मे जाकर उक्त अपील मे बारे मे पता किया तो प्रार्थीगण के अधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता हवासिंह ने बताया कि भागीरथ अधिवक्ता की मृत्यु हो चुकी है तथा अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज की जा चुकी है। प्रार्थीगण ने दिनांक 26.05.2015 को फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल की तक प्रार्थीगण को अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज होने का ज्ञान हुआ। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2014(1) पेज 105 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी प्रस्तुत करने मे हुई देरी से माफी दी जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार अपील जो दिनांक 08.05.2012 को अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज की गई, की पत्रावली को पुनः बाजवे नम्बर पर ली जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें।
4. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे आवेदन पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण को अपनी अपील सं. 21/2007 मे पारित आदेश दिनांक 08.05.2012 के आधार खारिज होने का शुरू से ज्ञान था तथा प्रार्थना पत्र कतई अन्दर मियाद नही है एवं लगभग 3 वर्ष के बाद पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र मे देरी को माफ करने का कोई सन्तोषजनक व उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र मे दर्ज नही किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोर अपील आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी खारिज किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं जवाब आवेदन का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रश्नगत अपील मे अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ था तथा अपील मे पैरवी अधिवक्ता द्वारा ही की जाती रही है। दौराने अपील अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने के कारण अधिवक्ता उक्त अपील मे उपस्थित नही हो सका जिसके कारण अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज कर दी गई। प्रार्थीगण को उक्त अपील खारिज होने का ज्ञान 24.05.2015 न्यायालय मे उपस्थित हुआ तो अपने अधिवक्ता के बारे पता किया तो प्रार्थीगण के अधिवक्ता के जूनियर अधिवक्ता हवासिंह से ज्ञात हुआ कि आपके अधिवक्ता की मृत्यु हो चुकी है। तब जाकर अपील के संबंध मे पता किया तथा दिनांक 26.05.2015 को फर्द अहकाम की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज की जा चुकी है। जवाब मे रेस्पो0 के अधिवक्ता के कथनानुसार कि प्रार्थीगण को प्रश्नगत अपील खारिज किये जाने का ज्ञान शुरू से रहा है। प्रार्थीगण द्वारा ज्ञान होते हुए भी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी अपील मे अधिवक्ता को नियुक्त किया हुआ था तथा यह विश्वास दिलाया गया था कि उन्हे उक्त अपील मे प्रत्येक पेशी पर न्यायालय मे आने की आवश्यकता नही है। प्रकरण मे कोई आदेश पारित होगा तो उन्हे सूचित कर दिया जावेगा। परन्तु दौराने अपील अधिवक्ता की मृत्यु हो गई और अधिवक्ता अपील मे उपस्थित नही हो सके। जिस कारण अपील अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज कर दी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार वकील की गलती के लिए पक्षकार दण्डित नही होना चाहिये। चूंकि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना आपेक्षित है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिए पक्षकार को दण्डित नही किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील रेस्टोर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 स्वीकार किया जाकर अपील अनवानी लखीराम आदि बनाम मदनलाल आदि अपील संख्या 21/2007 जो न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2012 को अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज की गई, की पत्रावली को पुनः बाजवे नम्बर पर ली जाती है। पत्रावली मूल अपील संख्या 21/2007 के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़